कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com
Phone/Fax-0135-2767611

संख्याः–1759 / FP/UK/ROAD/144340/2021 देहरादूनः दिनांक २५ जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25–सुभाश रोड़, देहरादून।

विषय :– जनपद–टिहरी गढ़वाल में मा0 मुख्यमंत्री जी घोशणा संख्या–605/2014 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत शिवपुरी से जाजल तक रोड का डबल लेन में निर्माण कार्य 4.69 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यार्वन (Online No. FP/UK/ROAD/144340/2021)

सन्दर्भ :–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्रांक–8बी0/यू0 सी0पी0/06/39/2022/एफ0सी0/1102 दिनांक–10.11.2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित **EDS दिनांक 10–11–2022** के सम्बन्ध में वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 1336/26–1 दिनांक 02.01.2023 **(प्रति संलग्न)** से प्राप्त आख्या के क्रम में बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क0 सं0	आपत्ति	निराकरण
1	In reply to point no-1,2&3. the villages mentioned to be benefited are already connected with the road and the same is also visible in the KML file. The administrative approval for the proposed road is of the year 2014 after which, the Char Dham Pariyojna has been implemented in the State i.e., in the year 2016 Therefore,reason stated for the proposed road i.e, the proposed road will act as bypass for Chardham road is not justified as the Chardham road is already upgraded and there is not need to construct a new bypass road. State Government is requested to submit the detailed comments on this view.	**बिन्दु संख्या–01** के कम में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण हेतु मार्ग की लम्बाई 7.250 कि0मी0 है, जबकि मार्ग की कुल वास्तविक लम्बाई 23.00 कि0मी0 है। कुल 23.00 कि0मी0 लम्बाई के सापेक्ष शिवपुरी जो कि NH-58 पर पड़ता है, से 10.00 कि0मी0 लम्बाई में जाजल की ओर निर्मित किया जा चुका है। इस 10.00 कि0मी0 लम्बाई में शिवपुरी,नोडू, बधान, गढसेरा, धौड़ियागला कठिया, मटियाला ग्राम सभा लाभान्वित हुयी है एवं जाजल जो कि NH-94 पर पड़ता है से 5.750 कि0मी0 लम्बाई में जाजल से शिवपुरी की ओर निर्मित किया जा चुका है, जिससे ग्राम सभा जाजल, लम्याली हाडीसेरा प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित है प्रस्तावित लम्बाई 7.250 कि0मी0 की वन भूमि हस्तान्तरण प्रकिया पूर्ण होने के उपरान्त ग्राम सभा बयासी भगोड़ी, लमधार रौन्देली, ढाईगला प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे एवं इस मार्ग के निर्माण से अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम डिंडोली, कुंड, बड़हल अदवाणी गंगसार गांव, आमसारी छोटी बेरनी, लमोली, खरसारी, अमोला, पोखरी तलाई, लमधार चिल्यैखाल, मानसेरा, गोरगांव लाभान्वित होंगे इन ग्रामों निवासरत जनता जिनकी कुल आबादी लगभग 3560 है को शिवपुरी/ऋषिकेश पहुँचने हेतु 34.00 कि0मी0 कम दूरी तय करनी होगी। यह मोटर मार्ग NH-58 एवं NH-94 को सीधे 34.00 कि0मी0 कम

		दूरी के साथ सीधे रूप से जोड़ता है। वर्षाकाल में NH-94 के अवरूद्व हो जाने से ऋषिकेश आने वाले वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में NH-94 के कि0मी0 32 (भिन्नू) में मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात 06 दिन प्रभावित रहा है इस प्रकार यह मार्ग NH-58 एवं NH-94 के मध्य एक बाईपास मार्ग का कार्य करेगा एवं वर्षाकाल/जाम की स्थिति/चारधाम यात्रा/स्थानीय मेले इत्यादि में वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा मार्ग के निर्माण से शिवपुरी एवं जाजल के मध्य 34.00 कि0मी0 की दूरी कम होने के कारण मार्ग से प्रत्येक वर्ष लगभग 3618.78 लाख रूपये के वाहन ईधन की बचत होगी जिसकी गणना संलग्न–1 में दर्शायी गयी है वर्तमान में शिवपुरी में ऋषिकेश–कर्णप्रयाग रेल परियोजना का एक रेलवे स्टेशन भी प्रस्तावित है इस कारण उपरोक्त सभी ग्राम सभाओं को रेलवे स्टेशन तक पहुॅचने हेतु कम दूरी तय करनी होगी, जिससे क्षेत्र के विकास में प्रगति होगी। **(संलग्न–1)**
2	In reply to point no-5, State Govt. has informed that proposal with no. FP/UK/ROAD/13565/2015 has already been rejected in the past since 1269 trees were affected by the proposal. Now, the present proposal which affects 952 trees is also not justifiable. State Govt is requested to submit the clarification to the observation raised in point No.5 the EDS letter dt. 08.06.2022	**बिन्दु संख्या–02** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग की स्वीकृति डबल लेन के लिये हुई थी परन्तु प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/13565/2015 में 09 मीटर चौड़ाई में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 1269 थी, इसलिय अधिक वृक्ष होने के कारण प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया था जिसके कम में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा कार्यो की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये मौखिक निर्देशों के कम में मार्ग का निर्माण डबल लेन से 1.50 लेन हेतु यह प्रस्ताव 7.00 मीटर चौड़ाई मे पेड़ों की गणना की गई जिसमें 952 वृक्ष प्रभावित हो रहे है। प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या न्यूनतम है। किसी भी प्रकार वृक्षों की संख्या को इससे कम किया जाना सम्भव नहीं है।
3	In reply to point no.6, proceedings of SDLC are still not uploaded State Government is requested to upload the proceedings of Sub-Divisional level Committee meeting.	**बिन्दु संख्या–03** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि उप खण्ड स्तरीय समिति की बैठक के अभिलेख, ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के भाग–1 के एडिशनल कॉलम के कम सं0 44 पर अपलोड कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–2)**
4	In reply to point 7, details of villages are not mentioned at para B 2.3, which is required to be done.	**बिन्दु संख्या–04** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली समस्त भूमि आरक्षित वन भूमि है। समरेखण में किसी भी प्रकार की ग्राम पंचायत/वन पंचायत/नाप भूमि प्रभावित नहीं होती है। इस कारण village wise Breakup का विवरण अंकित नहीं किया गया है।

5	In reply to point no. 8 CA area has inspected by the Van Beat Officer, which was required to be done by the DFO personally.	बिन्दु संख्या–05 के अनुपालन में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु 0.38 है0 ग्राम–डाडीसेरा, पट्टी–कुजणी पटवारी क्षेत्र ओडाडा, तहसील–गजा टिहरी गढ़वाल की सिविल सोयम भूमि में प्रस्तावक विभाग, राजस्व विभाग एवं वन विभाग के सक्षम अधिकारियों/कर्मचारियों के द्वारा दिनांक–24.09.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिससे उपरोक्त क्षेत्र 1000 पौध प्रति है0 की दर से क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सर्वथा उपयुक्त पाया गया तद्संबन्धी संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
6	In reply to point no. 13 no correction has been made. State Govt. is requested to go through observation raised in point No.13 of the EDS letter dt. 08.06.2022 and do the needful.	**बिन्दु संख्या–06** के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि **08** मार्ग पर उत्सर्जित होने वाले मक डिस्पोजल परियोजना कुल 158688.00 घनमीटर हेतु पुनः गठित कर संलग्न कर दी गयी है। **(संलग्नक–4)**
7	In reply to point no. 15 date and scientific names of the trees are not mentioned. Government is requested to submit the species wise summary of trees enumerated with date of enumeration along withe the scientific names of the trees.	**विन्दु संख्या–07** प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वृक्षों की गणना सूची में वृक्षों के वैज्ञानिक नाम उल्लेखित कर दिये है एवं species wise summary ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के भाग–1 के एडिशनल कॉलम के कम सं0 41 पर अपलोड कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–5)**
8	In reply to point no. 16 no correction has made. State Govt. is requested to submit the clarification with respect to the point No 16 of the EDS letter dt. 08-06-2022.	**विन्दु संख्या–08** प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Grith wise detail का उल्लेख करते हुए प्रभावित होने वाले वृक्षों के सूची ऑन लाईन परिवेश पोर्टल के भाग–1 के एडिशनल कॉलम के कम सं0 41 पर अपलोड कर दिया गया है जिसकी छाया प्रति मय संलग्नकों के प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–6)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः– यथोपरि।

भवदीय,

24/01/23

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,

संख्या / FP/UK/ROAD/144340/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवकश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वन संरक्षक, भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती के पत्रांक 1336/26–1 दिनांक 02.01.2023 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,